



वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

एम.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) सत्र 2024–26 में प्रवेश हेतु

आन लाईन आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देशः—

- पात्रता बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./बी.एल.एड. में न्यूनतम 50 % अंको के साथ उत्तीर्ण हो।
अथवा
बी.एल.एड. 50 % के साथ स्नातक उपाधि में भी न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/अन्य प्रान्त का आरक्षण राजाज्ञा के अनुसार देय होगा, जो अनुदानित महाविद्यालय (राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर) में ही केवल अनुमन्य होगा। आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही मान्य होंगे।
- आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) समान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण निर्धारित सीट के अन्तर्गत राजाज्ञानुसार 10% सभी महाविद्यालयों में अनुमन्य होगा।
- प्रदेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष-2024 की अर्हता परीक्षा में अन्तिम वर्ष या सेमेस्टर में समिलित हो रहे हैं, वे भी आवेदन हेतु अर्ह माने जायेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा और काउंसलिंग के समय समिति के समक्ष अर्हता अंकपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सामान्य/पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के लिये ₹0 1000=00 (₹0 एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु ₹0 750=00 (₹0 सात सौ पचास मात्र) प्रवेश परीक्षा शुल्क निर्धारित है।
- प्रवेश परीक्षा आवेदन करते समय प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑन-लाईन ही जमा होगी।
- प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र ऑन-लाईन ही प्राप्त किये जा सकेंगे।
- काउंसलिंग हेतु बुलाये गये सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग तिथि को काउंसलिंग शुल्क के रूप में ₹. 500=00 (₹. पाँच सौ मात्र) नगद जमा करना होगा।
- प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- प्रवेश परीक्षा 2 (दो) घण्टे की होगी और उसमें निम्नलिखित विवरणानुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे—

क्रम सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	पूर्णक
1	हिन्दी भाषा योग्यता	10	20	300
2	अंग्रेजी भाषा योग्यता	10	20	
2	करेन्ट अफेयर्स	10	20	
4	मानसिक योग्यता	20	40	
5	बी.एड. पाठ्यक्रम (केवल अनिवार्य प्रश्न-पत्र)	100	200	

आगे पृष्ठ.....2 पर

(2)

12. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के योग्यता गुणांक समान होने पर इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि उपर्युक्त व्यवस्था के उपरान्त भी अंक समान आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

13. एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु महाविद्यालयों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं	महाविद्यालय का नाम	अनुदानित/ स्ववित्त पोषित	सीटों की संख्या
1	राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ, जौनपुर	अनुदानित	50
2	तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर।	स्ववित्तपोषित	50
5	आरोएसोकेडी० पी० जी० कालेज, जौनपुर।	स्ववित्तपोषित	50
4	जय बजरंग महिला महाविद्यालय, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर (केवल महिला अभ्यर्थी हेतु)	स्ववित्तपोषित	50
5	गुरु फूलचन्द महाविद्यालय,, दौलतपुर, गाजीपुर।	स्ववित्तपोषित	50
6	गोपीनाथ महाविद्यालय, देवली, सलामतपुर, गाजीपुर	स्ववित्तपोषित	50
कुल सीट			300

नोट— काउंसलिंग के समय उन्ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा, जिन महाविद्यालय में प्रवेश हेतु मानक पूर्ण होंगे।

14. एम.एड. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) संत्र 2024–26 में प्रवेश हेतु प्रस्तावित महत्वपूर्ण तिथियां—

क्र.सं.	कार्य विवरण	सम्मानित तिथि
01	आनलाईन आवेदन फार्म भरने की प्रारम्भिक तिथि	2 मई 2024
02	आनलाईन आवेदन फार्म भरने की अन्तिम तिथि	1 जून 2024
03	आनलाईन आवेदन फार्म संशोधन की तिथि	2–10 जून 2024
04	प्रवेश पत्र आनलाईन डाउनलोड करने की तिथि	2–12 जुलाई 2024
05	प्रवेश परीक्षा की तिथि	13 जुलाई 2024
06	प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा	28 जुलाई
07	प्रथम काउंसलिंग	16, 17 एवं 18 अगस्त 2024

नोट—

- दिशेष परिस्थिति में उक्त तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
- प्रवेश परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपना दो नवीनतम पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटोग्राफ साथ में लाना होगा।
- प्रवेश परीक्षा के समय पहचान हेतु आधार/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाइसेंस/पैन या फोटोयुक्त बैंक पासबुक साथ में लाना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक्स डिवाईस, मोबाइल आदि लाना वर्जित होगा।
- अभ्यर्थी आनलाईन आवेदन के उपरान्त अपने आवेदन फार्म की एक प्रति प्रिन्ट प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
- काउंसलिंग पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आनलाईन काउंसलिंग तिथि के 04 दिन पूर्व से डाउनलोड किये जा सकें।
- कोविड गाइड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा।

कुलसमील 20